न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश /विशेष न्यायाधीश एस0सी0एस0टी0एक्ट, हापुड
उपस्थितः– उमाकान्त जिन्दल (उच्चतर न्यायिक सेवा) ; (UP-6234)

UPHP010002632012

Session Trial/83/2012
सत्र परीक्षण संख्या 83/2012
मु0अ0सं0 272/2011
सरकार बनाम नवनीत आदि
अन्तर्गत धारा : 395,397,412 भा0दं0सं0
थाना : गढमुक्तेश्वर
जिला : हापुड़

आदेश (आरोप विरचन के संदर्भ में)

पुकार कराई गई । पत्रावली पेश हुई। अभियुक्त गौरव जेरे जमानत हाजिर आया एवं अभियुक्त नवनीत जिला कारागार से वी0सी0 से उपस्थित है। विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौज0) को सुना गया । विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौज0) द्वारा अपने केस का खुलासा किया गया और उस साक्ष्य का उल्लेख किया गया जिसके द्वारा उन्हे अभियेाजन का पक्ष कथन सिद्ध करना है ।

पत्रावली का अवलोकन किया । पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि अभियुक्तगण के विरूद्ध 395,397,412 भा0दं0सं0 के अधीन आरोप विरचन हेतु पत्रावली पर पर्याप्त प्रलेखीय साक्ष्य उपलब्ध है । अतः अभियुक्तगण के विरूद्ध उक्त धाराओ के अधीन आरोप विरचित किया जाकर वास्ते अभियेाजन साक्ष्य पत्रावली दि0 11.08.2023 को पेश हो । अभियोजन साक्षीगण तलब हो ।

(उमाकान्त जिन्दल)
दि0 31.07.2023 अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश एस0सी0एस0टी0एक्ट,
हापुड।

Digitally signed by Umakant jindal
Date: 2023.07.31 14:54:48 IST
Reason: order
Location: District and Sessions Court Hapur

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश /विशेष न्यायाधीश एस0सी0एस0टी0एक्ट, हापुड
उपस्थितः– उमाकान्त जिन्दल (उच्चतर न्यायिक सेवा) ; (UP-6234)

UPHP010002632012

Session Trial/83/2012
सत्र परीक्षण संख्या 83/2012
मु0अ0सं0 272/2011
सरकार बनाम नवनीत आदि
अन्तर्गत धारा : 395,397,412 भा0दं0सं0
थाना : गढमुक्तेश्वर
जिला : हापुड़

आरोप

मैं, उमाकान्त जिन्दल ,अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश एस0सी0 एस0टी0 एक्ट, हापुड, एतदद्वारा आप अभियुक्तगण नवनीत व गौरव पर यह आरोप लगाता हूँ कि :–

प्रथमत ::– यह कि दि0 24.05.2011 को समय करीब 06.30 बजे शाम सडक पुख्ता दिल्ली रोड पर गढ से आगे जंगल ग्राम अठसैनी बहद थाना गढमुक्तेश्वर जिला हापुड में आप अभियुक्तगण नवनीत व गौरव ने सहअभियुक्तगण दीपक, हितेश व सोनू के साथ मिलकर अवैध रिवाल्वर व पिस्टल से लैस होकर वादी व उसके साथियों को मारपीट कर वादी से उसकी स्कार्पियो गाडी न0 यू0पी014 ए0जेड0 8884, नकद 10,000/–रूपये, ए0टी0एम0, घडी सोनाटा, मोबाईल सैमसंग, व वादी के साथी संजय का मोबाईल फोन नोकिया, चैन,अंगूठी सोने की, एक रिवाल्वर लाइसेंसी 32 बोर, नकद 5000/–रूपये , व गुडडू से 1000/–रूपये, मोबाईल फोन एल0जी0, लूटकर डकैती कारित की और उसके द्वारा आपने ऐसा कार्य किया जो भा0दं0सं0 की धारा 395 के अधीन दण्डनीय अपराध है और जिसका विचारण करने की अधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त है ।

द्वितीयतः::– यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर उक्त लूट/डकैती कारित करने में आप अभियुक्तगण नवनीत व गौरव ने सहअभियुक्तगण दीपक, हितेश व सोनू के साथ मिलकर अवैध रिवाल्वर व पिस्टल से वादी व उसके साथियों को गोली मारने की धमकी दी व मारपीट की और उसके द्वारा आपने ऐसा कार्य किया जो भा0दं0सं0 की धारा 397 के अधीन दण्डनीय अपराध है और जिसका विचारण करने की अधिकारिता इस न्यायालय को

प्राप्त है ।

<u>तृतीयतः:–</u> यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर लूटी गयी सम्पत्ति को आपने यह जानते हुए कि यह डकैती द्वारा प्राप्त की गयी है, अपने कब्जे में रखा । और उसके द्वारा आपने ऐसा कार्य किया जो भा0दं0सं0 की धारा 412 के अधीन दण्डनीय अपराध है और जिसका विचारण करने की अधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त है ।

अतएव एतदद्वारा मैं , आपको आदेशित करता हूँ कि उक्त आरोपों के लिये आपका परीक्षण इस न्यायालय द्वारा किया जावेगा।

(उमाकान्त जिन्दल)
अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश एस0सी0एस0टी0एक्ट,
हापुड।

दि0 31.07.2023

आरोप अभियुक्तगण को पढकर सुनाया एवं समझाया गया । अभियुक्तगण ने आरोप को अस्वीकार किया और विचारण की मॉग की।

(उमाकान्त जिन्दल)
अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश एस0सी0एस0टी0एक्ट,
हापुड।

दि0 31.07.2023